

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.01.2023

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया उक्त अभियुक्त ने छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ शादी करने का बहाना बनाकर दुष्कर्म किया था तथा शादी करने से मना कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सूरज कुमार पुत्र स्व० राघवराम नि० पौनी जमी थाना गौर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-12/2023 धारा 376(2)एन,354,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० जयप्रकाश यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.01.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त हारून शाह को लालपुर चंद्रभान दुल्लापुर मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 नशीली टेबलेट अल्प्रोजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर में एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हारून शाह पुत्र खलील नि0 बालपुर हजारी साई तकिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-24/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 60 टेबलेट अल्प्रोजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 प्रशान्त मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.01.2022

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मो० इरशाद उर्फ भुसनू को राजापुर मोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 62 नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो० इरशाद उर्फ भुसनू पुत्र जमील अहमद नि० बालपुर हजारी साई तकिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-23/23, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 62 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० उमाशंकर उपाध्याय मय टीम।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संदीप कुमार यादव पुत्र नान्हू प्रसाद यादव नि० ग्राम नये पुरवा मौजा रामनगर तरहर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 17/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनसुईया पत्नी स्व० रमेश नि० नयनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-17/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।